



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



4 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 99 राँची, शुक्रवार,

23 फरवरी, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प

19 फरवरी, 2024

विषय:- कर्तव्य के दौरान नक्सली/उग्रवादी घटनाओं में मारे गये इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों/कर्मियों के शेष कर्तव्य अवधि के वेतन के समतुल्य राशि उनके आश्रितों को भुगतान के संबंध में।

संख्या- 946--नक्सल/उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में पुलिस एवं अन्य सरकारी सेवक के घायल अथवा हताहत होने की स्थिति में घायल सरकारी सेवको/पुलिस कर्मियों/मृत सरकारी सेवको/पुलिस कर्मियों के आश्रित को विभागीय परिपत्र संख्या-350, दिनांक- 21.03.2001 के अनुसार आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

2. उक्त परिपत्र के कंडिका-2 (क) (ii) में निम्न प्रावधान है-

- (i) मृत पुलिस पदाधिकारी / कर्मी अथवा अन्य सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को जो वेतन प्राप्त हो रहा होगा, उस वेतन को आधार मानकर एतदसंबंधी सरकारी सेवक को जो वेतन उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय होता, उस पूरे वेतन की गणना की

जायेगी तथा सम्पूर्ण राशि को एकमुश्त उसके परिवार / आश्रित को भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतेय राशि की गणना करते समय एतद्संबंधी सरकारी सेवक को जिन्दा रहने की स्थिति में भविष्य में प्रोन्नति वेतनवृद्धि आदि कारणों से जो लाभ प्राप्त होता, उस राशि के गणना नहीं की जायेगी और मृत्यु की तिथि को जो वेतन प्राप्त हो रहा होगा, उसे ही गणना का आधार बनाया जायेगा। यही वेतन से तात्पर्य है मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता ।

3. इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों / कर्मियों को छोड़ राज्य सरकार के अन्य सभी सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति उम्र वर्तमान में स्पष्टतः 60 वर्ष निर्धारित है ।
4. विभागीय अधिसूचना संख्या-3106, दिनांक-13.08.2007 द्वारा राज्य सशस्त्र पुलिस वाहिनी में इंडिया रिजर्व बटालियन का गठन किया गया है। इस अधिसूचना की कड़िका 9 में निम्न प्रावधान है-

i. (9.1) इंडिया रिजर्व बटालियन में नियुक्ति पुलिस को 20 साल तक वाहिनी का कार्य करना होगा ।

ii. (9.2) 20 साल की सेवा समाप्ति के उपरान्त उक्त पुलिसकर्मी के समक्ष दो विकल्प रखे जायेंगे ।

(क) उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने दिया जायेगा। 20 साल की सेवा समाप्ति होने के कारण उसे पेंशनादि सुविधायें देय होगी ।

(ख) उसे साधारण पुलिस बल में सेवा समाप्ति के उपरांत सामंजस्य कर लिया जायेगा। साधारण पुलिस बल में उसकी वरीयता साधारण पुलिस बल में योगदान की तिथि से ही निर्धारित रहेगी। इस प्रकार पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को पेंशन नियमावली के नियम 161 (ख) के अनुरूप पद का आरंभिक वेतन मिलेगा, परन्तु वेतन और पेंशन की कुल रकम कभी भी उस रकम से अधिक न होगी जो उन्मुक्ति से पहले अंतिम मौलिक वेतन के रूप में मिली हो। जहाँ कुल रकम अंतिम मौलिक वेतन से अधिक हो जाय, वहाँ केवल उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी मिलने से पेंशन और पद के आरंभिक वेतन का कुल योग अंतिम मौलिक वेतन से अधिक न हो सके।

iii. (9.3) इंडिया रिजर्व बटालियन में नियुक्त पुलिसकर्मी को उनके सेवा कार्य अवधि में प्रत्येक प्रोन्नति के साथ दो साल वृद्धि कर दी जायेगी। अर्थात् पुलिस के रूप में नियुक्ति व्यक्ति सेवाअवधि में हवलदार बन जाने पर 22 साल तक सेवा कर सकेगा। परन्तु यह लाभ संबंधित कर्मियों का 60 वर्ष सीमा के भीतर तक देय होगा ।

5. उक्त अधिसूचना की कड़िका 92 के अनुसार 20 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत इंडिया रिजर्व बटालियन के पुलिस कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा साधारण पुलिस बल (राज्य पुलिस) में समायोजन का विकल्प दिये जाने का उल्लेख है। इन दोनों विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का चयन करना संबंधित इंडिया रिजर्व बटालियन के पुलिस कर्मियों पर निर्भर करेगा। यदि वे साधारण पुलिस में अपनी सेवा समायोजन के विकल्प का चयन करते हैं तो वे वर्तमान प्रावधान के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सरकारी सेवा में बरकरार रहेंगे ।

6. पुलिसकर्मियों के साथ-साथ राज्य सरकार के अन्य सेवकों को भी 20 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प उपलब्ध है, जिसका चयन सरकारी सेवकों द्वारा स्वयं किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में भी विभागीय परिपत्र पत्र संख्या-350, दिनांक-21.03.2001 की कड़िका 2 (क) (ii) के अनुसार उग्रवादी हिंसा में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित को मृत सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति की तिथि (वर्तमान प्रावधान के अनुसार 60 वर्ष) तक देय वेतन को समतुल्य राशि भुगतान का प्रावधान है।
7. इंडिया रिजर्व बटालियन के पुलिसकर्मियों/अन्य कर्मियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-3106, दिनांक-13.08.2007 में कड़िका 9.1 में उल्लेखित सेवाअवधि (20 वर्ष) के कारण विभागीय परिपत्र संख्या-350, दिनांक-21.03.2001 के आलोक में नक्सल/उग्रवादी हिंसा में मृत्यु होने पर आश्रित को शेष सेवा अवधि के वेतन के समतुल्य राशि की गणना में सेवानिवृत्ति की उम्र 20 वर्ष की सेवावधि मानने अथवा 60 वर्ष की आयु मानने में स्पष्टता की कमी है, जिससे ऐसी घटनाओं में मारे गये इंडिया रिजर्व बटालियन के पुलिसकर्मियों/अन्य कर्मियों के आश्रित को अन्य संस्कारी सेवकों के अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जबकि वे भी राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं।
8. अतः उक्त उल्लेखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभागीय परिपत्र संख्या-350, दिनांक-21.03.2001 की कड़िका 2-(क) (1) में निहित प्रावधानों का इंडिया रिजर्व बटालियन के पुलिसकर्मियों / अन्य कर्मियों को राज्य सरकार के अन्य सरकारी सेवकों/कर्मियों के समान लागू देने के उद्देश्य से इंडिया रिजर्व बटालियन के पुलिसकर्मियों/अन्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र राज्य सरकार के पुलिस कर्मियों (राज्य पुलिस) की सेवानिवृत्ति की उम्र (वर्तमान प्राधान के अनुसार 60 वर्ष) के बराबर माना जायेगा।
9. उक्त कड़िका 8 का प्रावधान मात्र नक्सल/चरमपंथी उग्रवादी/आतंकवादी घटनाओं में कर्तव्य के दौरान मारे गये अथवा घायल होने की स्थिति में ही लागू होने तथा इंडिया रिजर्व बटालियन (झारखण्ड) के गठन की तिथि से प्रभावी होगा।
10. उक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.02.2024 को सम्पन्न बैठक में विभागीय संलेख ज्ञापांक-815, दिनांक-12.02.2024 के आलोक में मद संख्या-24 के रूप में मन्त्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,
सरकार केअपर मुख्य सचिव।
